



CBI नदिशक की नयुक्ती

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय में एक रटि याचिका दायर की गई जिसमें [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो](#) (CBI) के एक नयिमति नदिशक की नयुक्ती की मांग की गई है।

- CBI के नदिशक को वर्ष 1946 के दलिली वशिष पुलसि स्थापना (DSPE) अधनियिम की धारा 4A के अनुसार नयुक्त कया जाता है।

प्रमुख बद्दि:

CBI का नदिशक:

- सीबीआई का नेतृत्व एक नदिशक द्वारा कया जाता है।
- DSPE के तहत पुलसि महानरीकषक के रूप में CBI का नदिशक संगठन के प्रशासन के लयि ज़मिमेदार होता है।
 - हालाँकि भ्रष्टाचार नविरण अधनियिम (Prevention of Corruption Act) के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में अधीकषण की शकती [केंद्रीय सतर्कता आयोग](#) (Central Vigilance Commission) के पास है।
 - CBI के नदिशक को CVC अधनियिम, 2003 के तहत दो वर्ष के कार्यकाल की सुरकषा प्रदान की गई है।

नयुक्ती:

- लोकपाल और लोकायुक्त अधनियिम (2013) ने दलिली वशिष पुलसि स्थापना अधनियिम (1946) में संशोधन कया और CBI के नदिशक की नयुक्ती के संबंध में नमिनलखिति बदलाव कयि:
 - केंद्र सरकार CBI के नदिशक को तीन सदस्यीय समतिका सफिरशि पर नयुक्त करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में वपिक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।
- बाद में दलिली वशिष पुलसि स्थापना (संशोधन) अधनियिम, 2014 ने CBI के नदिशक की नयुक्ती से संबंधति समतिका संरचना में बदलाव कया।
 - इसमें कहा गया है कि अगर लोकसभा में वपिक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़ी वपिक्षी पार्टी का नेता उस समतिका सदस्य होगा।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI):

- CBI की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी
 - अब CBI कार्मकि, लोक शकियत और पेंशन मंत्रालय के कार्मकि और प्रशकषण वभिग (DoPT) के प्रशासनकि नयित्रण में आता है।
- CBI की स्थापना भ्रष्टाचार नविरण पर संथानम समतिका (1962-1964) द्वारा की गई थी।
- CBI एक सांवधिकि नकिया नहीं है। यह दलिली वशिष पुलसि स्थापना अधनियिम, 1946 से अपनी शकतियों को प्राप्त करता है।
- CBI केंद्र सरकार की मुख्य जाँच एजेंसी है।
- यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है।
- यह भारत की नोडल पुलसि एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।

आगे की राह:

- एक नयिमति नयुक्ती के बजाय सरकार ने हाल ही में एक अंतरमि/कार्यवाहक CBI नदिशक नयुक्त कया है। 1946 के DSPE अधनियिम की वैधानकि योजना में कार्यकारी आदेश के माध्यम से अंतरमि नयुक्ती की परकिलपना नहीं की गई थी।
- प्रमुख जाँच एजेंसी को कार्यकारी या राजनीतिक शकतियों के प्रभाव के बाहर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिये। यह सुनिश्चित करने के लयि एक तंत्र होना चाहिये कि CBI नदिशक के चयन की प्रकरया वर्तमान नदिशक की सेवानवृत्ति से एक या दो महीने पहले पूरी हो जाए।

स्रोत- द हद्दि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/appointment-of-cbi-director>

